प्रदेश के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिल सकती है राहत

ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले व इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच खपत का मांगा ब्योरा

लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कर्फ्यू से प्रभावित वाणिज्यिक उपभोक्ताओं व छोटे उद्योगों को बिजली के फिक्स्ड चार्ज व डिमांड चार्ज में छूट मिल सकती है। व्यापारियों, उपभोक्ता व औद्योगिक संगठनों की मांग पर राज्य सरकार की ओर से रियायत के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र ने सकारात्मक रुख अपनाया है।

केंद्र को ब्योरे के साथ राशि का विवरण भेजने की तैयारी में जुटा पावर कॉर्पोरेशन

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रदेश के ऊर्जा विभाग व एनटीपीसी से 2020 और 2021 में अप्रैल से जून के बीच बिजली खपत का तुलनात्मक ब्योरा मांगा है। इसी आधार पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं व छोटे उद्योगों को फिक्स्ड व डिमांड चार्ज में राहत देने का फैसला किया जा सकता है। पावर कॉर्पोरेशन केंद्र को पूरी मांगी जाने वाली राशि के साथ पूरा ब्योरा भेजने की तैयारी कर रहा है। एक-दो दिन में प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।

प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अप्रैल के जून के बीच तमाम वाणिज्यिक प्रतिष्ठान व छोटे उद्योग बंद रहे हैं। इसके कारण इन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद समेत कई व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों ने सरकार से बंदी की अवधि में बिजली के फिक्स्ड चार्ज, मिनिमम चार्ज सहित डिमांड चार्ज माफ करने की मांग की है।

सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय पिछले साल हुए लॉकडाउन की तर्ज पर इस साल कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित वाणिज्यिक उपभोक्ताओं व छोटे उद्योगों को राहत देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों की मानें तो वाणिज्यिक उपभोक्ताओं व छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए केंद्र से लगभग 200 करोड़ की मांग की जा सकती है। ब्यूरो